



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

कर प्रकरण सं .81/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2018-19)

{आयकर अपीलीय अधिकरण, रायपुर पीठ, रायपुर द्वारा आईटीए क्रमांक 8/आरपीआर/2023 एवं 37
अन्य में पारित आदेश दिनांक 21-7-2023 से उत्पन्न}

जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं.92/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2013-14)

जिला खनन अधिकारी, दंतेवाड़ा खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अनवरभाटा, पी. ओ. दंतेवाड़ा, जिला
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं.85/2025



(कर प्रकरण सं. 81/2025 तथा 27 अन्य संबंधित प्रकरण)
2025: सीजीएचसी:24257-डीबी

2

(कर निर्धारण वर्ष 2014-15)

जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 73/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2017-18)

जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 100/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2018-19)

जिला खनन अधिकारी, बीजापुर, कलेक्टोरेट परिसर, बीजापुर, छत्तीसगढ़-494444

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 98/2025





(कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

जिला खनन अधिकारी, दंतेवाड़ा खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अनवरभाठा, पी. ओ. दंतेवाड़ा, जिला
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 93/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2015-16)

जिला खनन अधिकारी, दंतेवाड़ा खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अनवरभाठा, पी. ओ. दंतेवाड़ा, जिला
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 97/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

जिला खनन अधिकारी बीजापुर, कलेक्टोरेट परिसर, बीजापुर, छत्तीसगढ़-494444

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़



--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 86/2025
(कर निर्धारण वर्ष 2016-17)

जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी



कर प्रकरण सं. 82/2025
(कर निर्धारण वर्ष 2015-16)

जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 83/2025
(कर निर्धारण वर्ष 2013-14)

जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी



(कर प्रकरण सं. 81/2025 तथा 27 अन्य संबंधित प्रकरण)
2025: सीजीएचसी:24257-डीबी

5

कर प्रकरण सं. 84/2025
(कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 95/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

जिला खनन अधिकारी, बीजापुर, कलेक्टोरेट परिसर, बीजापुर, छत्तीसगढ़-494444

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 96/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2014-15)

जिला खनन अधिकारी, दंतेवाड़ा खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अनवरभाटा, पी. ओ. दंतेवाड़ा, जिला
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़





(कर प्रकरण सं. 81/2025 तथा 27 अन्य संबंधित प्रकरण)
2025: सीजीएचसी:24257-डीबी

6

----- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 101/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2016-17)

जिला खनन अधिकारी, दंतेवाड़ा खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अनवरभाटा, पी. ओ. दंतेवाड़ा, जिला
सोरथ बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 99/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2017-18)

जिला खनन अधिकारी, दंतेवाड़ा खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अनवरभाटा, पी. ओ. दंतेवाड़ा, जिला
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं.94/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2018-19)

जिला खनन अधिकारी, दंतेवाड़ा खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अनवरभाटा, पी. ओ. दंतेवाड़ा, जिला
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़-494449

--- अपीलार्थी

बनाम



(कर प्रकरण सं. 81/2025 तथा 27 अन्य संबंधित प्रकरण)
2025: सीजीएचसी:24257-डीबी

7

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 102/2025

((कर निर्धारण वर्ष 2018-19)

उप निदेशक (खनिज और प्रशासन), जगदलपुर खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, पी. ओ. जगदलपुर,
जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी



कर प्रकरण सं. 106/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2016-17)

कलेक्टर खनन, कांकेर (उप निदेशक खनिज प्रशासन), खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कांकेर,
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 109/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2014-15)



(कर प्रकरण सं. 81/2025 तथा 27 अन्य संबंधित प्रकरण)

2025: सीजीएचसी:24257-डीबी

8

उप निदेशक (खनिज और प्रशासन), जगदलपुर खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, पी. ओ. जगदलपुर,
जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 110/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2017-18)

कलेक्टर खनन, कांकेर (उप निदेशक खनिज प्रशासन), खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, कांकेर,
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 112/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2013-14)

उप निदेशक (खनिज और प्रशासन), जगदलपुर खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, पी. ओ. जगदलपुर,
जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं.107/2025



(कर निर्धारण वर्ष 2014-15)

कलेक्टर खनन, कांकेर (उप निदेशक खनिज प्रशासन), खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कांकेर,
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं.105/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2018-19)

कलेक्टर खनन, कांकेर (उप निदेशक खनिज प्रशासन), खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कांकेर,
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं.104/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2017-18)

उप निदेशक (खनिज और प्रशासन), जगदलपुर खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, पी. ओ. जगदलपुर,
जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी





(कर प्रकरण सं. 81/2025 तथा 27 अन्य संबंधित प्रकरण)
2025: सीजीएचसी:24257-डीबी

10

कर प्रकरण सं.108/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2016-17)

उप निदेशक (खनिज और प्रशासन), जगदलपुर खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, पी. ओ. जगदलपुर,
जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 113/2025

(कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

कलेक्टर खनन, कांकेर (उप निदेशक खनिज प्रशासन), खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कांकेर,
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

कर प्रकरण सं. 103/2025

(मूल्यांकन वर्ष 2019-20)

उप निदेशक (खनिज और प्रशासन), जगदलपुर खनन कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, पी. ओ. जगदलपुर,
जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम





आयकर उपायुक्त (टीडीएस), रायपुर, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री अमित चौधरी तथा श्री अजय कुमारानी,अधिवक्तागण

युगल पीठ :--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

(16/06/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. चूंकि विधि तथा तथ्य का सामान्य प्रश्न शामिल है और इन सभी संबंधित कर अपीलों में विधि का सामान्य सारवान प्रश्न तैयार किया गया है, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ा गया है और एक साथ सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

2. कर अपीलों का यह समूह आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'आईटी अधिनियम') की धारा 260 ए के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), रायपुर पीठ, रायपुर द्वारा संबंधित कर अपीलों में पारित दिनांक 21-7-2023 के निर्णय और आदेश की वैधता, वैधानिकता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसमें आयकर आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी), दिल्ली के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके द्वारा आईटीएटी ने सीआईटी (अपील) के आदेश को यथावत रखते हुए करदाता की अपीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रत्येक अपील में विधि के निम्नलिखित सामान्य पर्याप्त प्रश्न को पृथक से तैयार किया गया है:---

"क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206(1सी) के प्रावधान उन अपराधियों से टीसीएस वसूलने के लिए लागू हैं जो बिना पट्टे या अनुज्ञप्ति के अवैध खनन या परिवहन/भंडारण करते हैं या जिन्होंने उत्खनन या खदानों में अधिकार हस्तांतरण हेतु संविदा नहीं किया है और जिनसे छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71(5) के प्रावधानों के अनुसार प्रशमन जुर्माना वसूला किया जाता है?"



3. सुविधा के लिए, कर प्रकरण संख्या 81/2025 को मुख्य प्रकरण माना जाता है। उपर्युक्त विधि प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार हेतु उत्पन्न होता है:---

4. दिनांक 24-9-2018 को, आयकर अधिनियम की धारा 133 ए(2 ए) के अंतर्गत जिला खनन अधिकारी, बेमेतरा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का खनन विभाग है, के कार्यालय में टीडीएस सर्वेक्षण किया गया था। उपर्युक्त कार्यवाही के दौरान, आयकर अधिकारियों को कुछ मुद्दे सामने आए, जैसे कि करदाता अर्थात् अपीलकर्ता ने खनिजों के अवैध खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं से वसूले गए शमन शुल्क/जुमने की राशि पर स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र न करके आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1 सी) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया था, और दो अन्य विवादक, जिन पर अपीलों के वर्तमान पीठ में विचार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पक्षों के बीच आईटीएटी के आदेश द्वारा अंतिम रूप से सुलझा लिया गया है। तत्पश्चात्, 1-7-2019 को, आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1 सी), 206 सी(6) और 206 सी(7) के तहत आदेश पारित किया गया, जिसमें करदाता को 'चूककर्ता करदाता' माना गया तथा स्रोत पर कर वसूली न करने की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व उस पर डाल दिया गया। अपीलकर्ता ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है, जिसमें खनिजों के अवैध खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं से प्राप्त शमन शुल्क की राशि पर स्रोत पर कर वसूलने में विफलता के लिए उसे उत्तरदायी ठहराए जाने के विवादक पर इस आधार पर अपील की गई है कि आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1 सी) के तहत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता धारा 206 सी(1 सी) के अनुसार कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि वह उक्त प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। हालाँकि, करदाता द्वारा सीआईटी (अपील) के समक्ष दायर अपील को सीआईटी (अपील) द्वारा 17-11-2022 को खारिज कर दिया गया था और उस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता/करदाता ने आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की और आईटीएटी ने अन्य विवादकों के संदर्भ में अपील को स्वीकार कर लिया, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता/करदाता आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1 सी) में निहित प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने के लिए बाध्य है।

5. आईटीएटी के आदेश से असंतुष्ट और व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता/करदाता ने आईटीएटी के आदेश की वैधता, वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए ये अपीलें दायर की हैं, क्योंकि आईटीएटी ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए टीसीएस, ब्याज और जुमने की मांग को यथावत रखा गया है।

6. छत्तीसगढ़ राज्य/अपीलकर्ता/करदाता की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर ने प्रस्तुत किया है कि स्रोत पर कर (टीसीएस) अपीलकर्ता/करदाता द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1 सी) के तहत पट्टा धारक या अनुज्ञप्ति धारक से एकत्र किया जाना है और व्यक्ति या तो पट्टा धारक या अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए जिसके द्वारा करदाता ने किसी पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान या खदान में किसी अन्य व्यक्ति को संविदा किया हो या किसी अन्य तरीके से पूर्ण या आंशिक रूप से कोई



अधिकार या हित हस्तांतरित किया हो, और इस प्रकरण में करदाता को रॉयल्टी एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अवैध खनन के प्रकरण में, अपराधी न तो पट्टाधारक है और न ही अनुज्ञप्ति धारक है और करदाता ने कोई संविदा नहीं किया है या उसका कोई व्यक्तिगत अधिकार या हित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भुगतान की जाने वाली राशि रॉयल्टी के रूप में नहीं है, बल्कि अपराधी के विरुद्ध अभियोजन को समाप्त करने के लिए जुर्माना है और इस प्रकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (संक्षेप में, 'एमएमडीआर अधिनियम') की धारा 23 ए में निहित प्रावधान के आधार पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71(5) के साथ पठित, शमन शुल्क लिया गया है। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) में निहित स्रोत पर कर संग्रहण का अधिदेश अवैध खनन पट्टे के मामले में लागू नहीं होगा और इस प्रकार, अपीलकर्ता/करदाता को 'चूककर्ता करदाता' नहीं कहा जा सकता है और ब्याज सहित मांग उठाना पूरी तरह से अवैध, मनमाना और आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) के दायरे से बाहर है। इन परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश सभी अपीलों में अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

7. उत्तरवादी /राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित चौधरी ने प्रस्तुत किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 260 सी(1सी) में निहित प्रावधान उन अपराधियों से टीसीएस वसूलने पर भी लागू होंगे जो बिना पट्टे या आज्ञप्ति के अवैध खनन या परिवहन/भंडारण करते हैं या जिन्होंने खदानों या खदानों में अधिकारों के हस्तांतरण के लिए संविदा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) के तहत स्रोत पर कर (टीसीएस) वसूलने के लिए करदाता पर लगाया गया दायित्व पट्टे या आज्ञप्ति या संविदा के अस्तित्व को पूर्वधारणा नहीं करता है, बल्कि यह उस प्रकरण पर भी लागू होगा जहां किसी व्यक्ति ने किसी खदान में, अन्य बातों के साथ-साथ, कोई अधिकार या हित, पूर्णतः या आंशिक रूप से, किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि वर्तमान प्रकरण में, यह मानना पूर्णतः न्यायोचित नहीं है कि आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) के अंतर्गत कंपाउंडिंग शुल्क वसूलना उचित होगा और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मांग, ब्याज और जुर्माने को यथावत रखते हुए अपीलों को खारिज करना न्यायोचित है और इस प्रकार, सभी अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

9. कर अपीलों के इस समूह में शामिल, तैयार किए गए और उत्तर दिए जाने वाले कानून के एकमात्र और सामान्य सारवान प्रश्न को इस निर्णय के आरंभिक कंडिका में प्रस्तुत किया गया है।

10. विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:---



206 सी. मादक मदिरा, वनोपज, स्ट्रैप आदि के व्यापार से लाभ तथा आमदनी। —

(1) **XXX XXX**

(1-सी) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान या खदान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (जिसे इस खंड में इसके बाद "अनुज्ञासिधारी या पट्टेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को व्यवसाय के प्रयोजन के लिए ऐसे पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान या खदान के उपयोग के लिए पट्टा या अनुज्ञाप्ति प्रदान करता है या संविदा में प्रवेश करता है या अन्यथा किसी अधिकार या हित को पूर्णतः या आंशिक रूप से हस्तांतरित करता है, अनुज्ञासिधारी या पट्टेदार द्वारा अनुज्ञासिधारी या पट्टेदार के खाते में देय राशि को डेबिट करते समय या अनुज्ञासिधारी या पट्टेदार से नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से ऐसी राशि प्राप्त करते समय, जो भी पहले हो, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के ऐसे किसी अनुज्ञाप्ति, संविदा या पट्टे के अनुज्ञासिधारी या पट्टेदार से, उक्त तालिका के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि, आयकर के रूप में ऐसी राशि एकत्र करेगा:

स.क.	संविदा की प्रकृति या अनुज्ञाप्ति या पट्टा, आदि।	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	पार्किंग स्थल	दो प्रतिशत।
(ii)	टोल प्लाजा	दो प्रतिशत।

स्पष्टीकरण 1.1.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "खनन और उत्खनन" में खनिज तेल का खनन और उत्खनन शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण 2.- स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, "खनिज तेल" में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं।"

11. उपर्युक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि करदाता को पट्टा धारक या अनुज्ञाप्ति धारक से या जिनके साथ करदाता ने संविदा किया है या अन्यथा किसी पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान या उत्खनन में पूर्णतः या आंशिक रूप से कोई अधिकार या हित हस्तांतरित किया है, उनके द्वारा यहां अपीलकर्ता को किए गए भुगतान की राशि पर 2% की दर से कर वसूल करना होगा।वह व्यक्ति पट्टाधारक या अनुज्ञाप्ति धारक होना चाहिए या जिसके साथ करदाता ने संविदा किया हो या अन्यथा खदानों या क्षेत्रों में कोई अधिकार या हित हस्तांतरित किया हो, अर्थात वह व्यक्ति जिससे टीसीएस संग्रहणीय है, वह वह व्यक्ति होना चाहिए जिसे करदाता द्वारा किसी खदान या उत्खनन के लिए पट्टा या अनुज्ञाप्ति या अन्यथा कोई स्पष्ट संविदा,



अधिकार या हित हस्तांतरित किया गया है तथा उसके द्वारा जिला खनन अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को रॉयल्टी देय है। वर्तमान प्रकरण में, खनन पट्टा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए जो निम्नानुसार प्रदान करता है:---

"9. खनन पट्टों के संबंध में रॉयल्टी।:-----

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्रदान किए गए खनन पट्टे का धारक, पट्टे के दस्तावेज में या ऐसे प्रारंभ के समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा हटाए गए या उपभोग किए गए किसी खनिज के संबंध में, उस खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय या उसके पश्चात् प्रदान किए गए खनन पट्टे का धारक, उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए किसी खनिज के संबंध में, उस खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

(2 ए) खनन पट्टे का धारक, चाहे वह खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारंभ होने से पहले या उसके बाद प्रदान किया गया हो, किसी कोयला खदान में लगे किसी कर्मकार द्वारा उपभोग किए गए किसी भी कोयले के संबंध में कोई रॉयल्टी देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, परंतु कि कर्मकार द्वारा ऐसी खपत प्रति माह एक-तिहाई टन से अधिक न हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकेगी जिससे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से किसी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दर में वृद्धि या कमी की जा सके: परंतु कि केन्द्रीय सरकार किसी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर में तीन वर्ष की किसी अवधि के दौरान एक बार से अधिक वृद्धि नहीं करेगी।"

12. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, खनन पट्टा धारक, उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में उस खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए बाध्य है और केंद्र सरकार को द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार है ताकि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी देय दर को बढ़ाया या घटाया जा सके।

13. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए अपराधों के शमन का प्रावधान करती है, जो इस प्रकार है:---

“ 23A. अपराधों का शमन।



1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, उस व्यक्ति द्वारा, जिसे उस अपराध के संबंध में न्यायालय में परिवाद करने के लिए धारा 22 के अधीन प्राधिकृत किया गया है, सरकार को जमा करने के लिए उस व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने पर किया जा सकेगा, जो वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे:परन्तु केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी कोई राशि जुर्माने की उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए अधिरोपित की जा सकेगी।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।”

14. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए की उपधारा (1) के आधार पर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, उस अपराध के संबंध में न्यायालय में परिवाद करने के लिए धारा 22 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति को सरकार को जमा करने के लिए, ऐसी राशि का भुगतान करने पर, जो वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे, शमनीय हो सकता है और उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जाता है, वहां, यथास्थिति, अपराधी के विरुद्ध इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि, एक बार शमन जुर्माना अदा करके अपराध का शमन कर दिया जाता है, तो एमएमडीआर अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध अर्थात् अवैध खनन का कार्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शमन हो जाता है।

15. राज्य सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 (संक्षेप में, '2015 के नियम') के नाम से नियम बनाए हैं, जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान और विनियमन तथा उनसे संबंधित उद्देश्यों पर लागू होंगे। 2015 के नियमों का नियम 71 अनधिकृत निष्कर्षण तथा परिवहन हेतु दंड से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:---

"71. अनधिकृत निष्कर्षण और परिवहन के लिए दंड -

(1) जब कभी कोई व्यक्ति खनिजों का निष्कर्षण या परिवहन करता हुआ पाया जाएगा या जिसकी ओर से ऐसा निष्कर्षण या परिवहन इन नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो उसे खनिजों के अवैध निष्कर्षण में पक्षकार माना जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।



(2) जब कभी कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में खनिज का निष्कर्षण या परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो कलेक्टर/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी/खनि निरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त सभी औजारों, उपकरणों और वाहनों सहित खनिजों और उसके उत्पादों को जब्त कर सकेगा।

(3) ऐसे अवैध रूप से निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज या उसके उत्पाद, औजारों, उपकरणों और वाहनों को जब्त करने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को रसीद देगा जिसके कब्जे से ऐसी चीजें जब्त की गई थीं और ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन इस प्रकार अभिगृहीत की गई संपत्ति, उस अधिकारी द्वारा, जिसने ऐसी संपत्ति अभिगृहीत की है, उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके कब्जे से ऐसी संपत्ति अभिगृहीत की गई थी, अधिकारी की संतुष्टि के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर मुक्त कर दी जाएगी। इसे ऐसे समय और स्थान पर प्रस्तुत किया जाएगा जब ऐसे अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए: परन्तु जहां उपनियम (3) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की गई है, वहां अभिगृहीत संपत्ति केवल ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश से ही मुक्त की जाएगी।

(5) कलेक्टर/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/खनिज अधिकारी या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या पश्चात्, उपनियम (1) के अधीन किए गए अपराध का शमन इस प्रकार निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य और ऐसे जुर्माने के भुगतान पर कर सकेगा जो इस प्रकार निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य के दोगुने तक हो सकेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में यह पांच हजार रुपए या इस प्रकार निकाले गए खनिजों की रॉयल्टी के दस गुना, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा: परन्तु कि उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में, कलेक्टर/उप निदेशक/खनिज अधिकारी लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की राशि भी वसूल कर सकेगा।

xxxxXXX XXX "

16. नियम 2015 के नियम 71 में अनधिकृत निष्कर्षण और परिवहन के लिए दंड का प्रावधान है और नियम 71 के उप-नियम (5) में कहा गया है कि कलेक्टर/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/खनिज अधिकारी या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी अभियोजन शुरू करने से पहले या बाद में उप-नियम (1) के तहत किए गए अपराध को इस प्रकार निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य के भुगतान पर और ऐसे जुर्माने पर शमन कर सकता है जो इस प्रकार निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य से दोगुना तक हो सकता है, लेकिन किसी भी मामले में यह पांच हजार रुपये या निकाले गए खनिजों की रॉयल्टी के दस गुना से कम नहीं होगा जो भी अधिक हो।



17. इस प्रकार, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए के साथ पठित 2015 के नियमों के नियम 71(5) के आधार पर, अपराध शमनीय है और शमनीयता का प्रभाव एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए(2) में भी निहित है।

18. विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि राजकोषीय कानूनों की कड़ाई से व्याख्या की जाती है। बहुत पहले, **केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम आईआरसी** के मामले में, न्यायमूर्ति रॉलेट ने निम्नलिखित मामले में कर कानूनों की सख्त व्याख्या के सिद्धांतों की व्याख्या की थी: ---

"कर अधिनियम में केवल वही देखना होता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी भी आशय हेतु कोई स्थान नहीं है। कर के बारे में कोई समानता नहीं है। कर के बारे में कोई पूर्वधारणा नहीं है। कुछ भी पढ़ा नहीं जाना चाहिए, कुछ भी निहित नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति केवल उपयोग की गई भाषा को निष्पक्ष रूप से देख सकता है।"

19. इसके अलावा, सीएसटी बनाम मोदी शुगर मिल्स लिमिटेड 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:--

"कर-संबंधी विधि की व्याख्या करते समय, न्यायसंगत विचार पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं। न ही कर-संबंधी विधि की व्याख्या किसी पूर्वधारणा या धारणा के आधार पर की जा सकती है। न्यायालय को विधि के शब्दों को ध्यान से देखना चाहिए और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। इसे कर-संविधान की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के प्रकाश में करनी चाहिए; यह ऐसी किसी बात का संकेत नहीं दे सकता जो व्यक्त न की गई हो; यह संविधि में ऐसे प्रावधान नहीं ला सकता जिससे किसी कल्पित कमी की पूर्ति हो सके।"

20. सीआईटी बनाम कलकत्ता निटवेयर्स 3 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राजकोषीय कानूनों की व्याख्या करते समय, न्यायालय को प्रावधान में शब्द को जोड़ना या प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए और उनके माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:--

"28. इस न्यायालय ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2005) 1 एससीसी 308] में एक राजकोषीय कानून में "कंप्यूटर" और "कंप्यूटर प्रोग्राम" शब्दों को स्पष्ट अर्थ दिया है और आईआरसी मामले [आईआरसी बनाम रॉसमिनस्टर लिमिटेड, (1980) 1 ऑल ईआर 80 (एचएल)] में निर्धारित प्रस्ताव को दोहराते हुए कहा कि न्यायालय को स्पष्ट शब्दों में अस्पष्टता या अस्पष्टता की खोज में अति उत्साही नहीं होना चाहिए।

29. प्रकाश नाथ खन्ना बनाम सीआईटी [(2004) 9 एससीसी 686] में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी विधि में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का निर्धारक कारक होती है। यह अवधारणा कि जाती है कि विधायिका ने कोई त्रुटि नहीं की है। यह अवधारणा किया जाता है कि उसने जो कहा है, वही कहने का उसका आशय था। यह मानते हुए कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में कोई त्रुटि या चूक है, न्यायालय उस



कमी को सुधार या पूरा नहीं कर सकता है। जहाँ विधायी आशय भाषा से स्पष्ट हो, न्यायालय को उसे लागू करना चाहिए। (दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाम राजीव आनंद और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रोड रोलर्स ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन)

30. बी. प्रेमानंद बनाम मोहन कोइकल [(2011) 4 एससीसी 266 : (2011) 1 एससीसी (एल एंड एस) 676] में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है: (एससीसी पृष्ठ 273, कंडिका 24)"

24. व्याख्या के शाब्दिक नियम का वास्तविक अर्थ यह है कि कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें विधि को उसके वास्तविक रूप में पढ़ना चाहिए, उसकी भाषा को विकृत या तोड़-मरोड़कर पेश किए बिना। यहाँ हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि व्याख्या के शाब्दिक नियम का पालन न केवल न्यायाधीश और वकील करते हैं, बल्कि आम आदमी भी अपने सामान्य जीवन में इसका पालन करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि 'यह एक पेंसिल है', तो उसका मतलब है कि यह एक पेंसिल है; और ऐसा नहीं है कि जब वह कहता है कि वस्तु एक पेंसिल है, तो उसका मतलब यह है कि यह एक घोड़ा, गधा या हाथी है। दूसरे शब्दों में, व्याख्या के शाब्दिक नियम का सीधा सा अर्थ है कि हम जो कहते हैं उसका मतलब वही होता है और हम जो कहते हैं उसका मतलब वही होता है। यदि हम व्याख्या के शाब्दिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो सामाजिक जीवन असंभव हो जाएगा और हम एक-दूसरे को समझ नहीं पाएँगे। यदि हम कहते हैं कि कोई वस्तु एक पुस्तक है, तो हमारा तात्पर्य है कि वह एक पुस्तक है। यदि हम कहते हैं कि यह एक पुस्तक है, लेकिन हमारा तात्पर्य घोड़ा, मेज या हाथी है, तो हम एक-दूसरे से संवाद नहीं कर पाएँगे। जीवन असंभव हो जाएगा। अतः, व्याख्या के शाब्दिक नियम का अर्थ केवल इतना है कि हम जो कहते हैं उसका अर्थ वही होता है और हम जो कहते हैं उसका अर्थ वही होता है।"

31. इस प्रकार, कर-संबंधी विधि की भाषा को सामान्यतः उस अर्थ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिस अर्थ में वह विधायी सजीवता को प्रभावी बनाने के विधि के उद्देश्य के साथ सामंजस्यपूर्ण है। कर-संबंधी विधि की व्याख्या कड़ाई से की जानी चाहिए; सामान्य ज्ञान, समता, तर्क, नैतिकता और सदाचार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कुछ भी पढ़ा-लिखा नहीं जाना चाहिए, कुछ भी निहित नहीं होना चाहिए; केवल प्रयुक्त भाषा को निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है, न इससे अधिक और न ही इससे कम। (जे. श्रीनिवास राव बनाम एपी राज्य [(2006) 12 एससीसी 607: (2006) 13 स्केल 27] तथा जगदंबिका प्रताप नारायण सिंह बनाम सीबीडीटी [(1975) 4 एससीसी 578: 1975 एस. सी. सी. (कर) 356: (1975) 100 आईटीआर 698]।)"

21. इसके अलावा, सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप पी. लिमिटेड 4 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पार्टिंगटन बनाम अटॉर्नी जनरल 5 के मामले में लॉर्ड केन्स की निम्नलिखित टिप्पणी को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया है:



"जैसा कि मैं सभी राजकोषीय विधानों के सिद्धांत को समझता हूँ, वह यह है: यदि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाना है, वह कानून के दायरे में आता है, तो उस पर कर लगाया जाना चाहिए, चाहे न्यायिक दृष्टि से कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न प्रतीत हो। दूसरी ओर, यदि क्राउन, कर वसूलने की मांग करते हुए, विषय को विधि के पत्र के भीतर नहीं ला सकता है, तो विषय स्वतंत्र है, हालांकि, विधि की भावना के भीतर मामला अन्यथा प्रतीत हो सकता है।"

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा उपर्युक्त निर्णयों (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, तथ्य यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) केवल करदाता को उस व्यक्ति से स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए बाध्य करती है, जिसे ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है और जिसके द्वारा जिला खनन अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को रॉयल्टी देय है और धारा 206 सी(1सी) के तहत कर एकत्र करने का दायित्व अवैध खनन या अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल व्यक्ति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) विशेष रूप से करदाता को पट्टाधारक या आज्ञासि धारक से या जिनके साथ करदाता ने संविदा किया है या अन्यथा किसी पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा या खदान या उत्खनन में पूर्णतः या आंशिक रूप से कोई अधिकार या हित हस्तांतरित किया है, उनसे कर एकत्र करने के लिए बाध्य करती है। इसी तरह, खनिजों के अवैध खनन या अवैध परिवहन में शामिल व्यक्ति से स्रोत पर कर वसूलने के लिए कोई विधायी अधिदेश नहीं है और इसी तरह, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए के अनुसार, 2015 के नियमों के नियम 71(5) के साथ, कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माना वसूला जा सकता है और कंपाउंडिंग का प्रभाव यह होगा कि धारा 23 ए(1) के तहत शमन होने पर, कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 में भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है, जो अपराधों के शमन से संबंधित है और धारा 320 की उपधारा (8) स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करती है कि धारा 320 के तहत किसी अपराध का शमन करने पर उस अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है। इस प्रकार, शमन शुल्क/जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए के साथ पठित 2015 के नियमों के नियम 71(5) के तहत एकत्रित शमन शुल्क/जुर्माने पर स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने का कोई विधायी अधिदेश नहीं है। इस प्रकार, आईटी अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) में निहित प्रावधानों के आधार पर, रॉयल्टी की राशि से टीसीएस एकत्र करने का विधायी आदेश है और साथ ही, 2015 के नियमों के नियम 71(5) के साथ पठित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए के तहत कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माना की राशि से टीसीएस वसूलने का कोई विधायी आदेश नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी में समझौता शुल्क/जुर्माना शामिल नहीं है और "रॉयल्टी" और "समझौता शुल्क", दोनों शब्द परस्पर अनन्य हैं। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 2(47) में निहित परिभाषा के आधार पर, आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) के तहत समझौता शुल्क/जुर्माना (टीसीएस) वसूलने का



आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी) का निर्णय पूरी तरह से अनुचित है। तदनुसार, हम आयकर अधिनियम की धारा 2(47) के आधार पर आईटीएटी द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।

23. उपरोक्त के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1सी) का पालन न करने पर ब्याज और जुर्माना लगाने और मांग करने वाले आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 21-7-2023 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार, इसे अपास्त किया जाता है। विधि के मूल प्रश्न का उत्तर करदाता के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध दिया गया है।

24. समस्त 28 अपीलों में आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और सभी 28 कर अपीलों को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकृत किया जाता है। इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।